कोर्ट ऑफ ए0 सी0 जे0 एम0, मंझौल, बेगूसराय

नालसी वाद संख्या 36–2020

राजेन्द्र यादव बनाम् अजय कुमार सिंह

14.12.2021 : अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। परिवादी राजेन्द्र यादव द्वारा प्रस्तुत परिवाद भा0 दं0 वि0 की धारा – 166, 166ए एवं 448 के तहत दाखिल किया गया है। परिवादी का यह कहना है कि अभियुक्त जो कि चेरियाबरियारपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी हैं दिनांक 30.03.2020 को चार–पांच अन्य पुलिस वालो के साथ मेरे घर पर आकर घर के अंदर चला गया। उस समय मेरे घर के अन्दर मेरी पूतोहू शोभा देवी, मेरी बेटी संजिता थी। मुदालय इन दोनों से कहा कि अनिल कहा है। इस पर शोभा देवी बोली कि वे अभी बाहर हैं लॉकडॉउन में नहीं आ पाएंगे। मुदालयगण मेरे बेटा अनिल को चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या – 194/2019 में तलाश कर रहे थे। मुदालय मेरी पूतोहू तथा बेटी को अभद्र गाली दिये तथा घर में घूसकर सामान को तितर–बितर कर दिये। मुदालय घर से निकले तो मैं अन्य लोगों के साथ दरवाजे पर था तो मुझे कॉलर पकड़कर दो थप्पड़ मारे तथा कहे कि अगर अनिल को हाजिर नहीं करायेगा तो एक सप्ताह के अंदर घर का ईंट–ईंट छुड़ा देंगे।

परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी शपथ पर परीक्षा हेतु उपस्थित हुए तथा परिवाद पत्र के समर्थन में तीन जांच साक्षी क्रमशः जांच साक्षी संख्या 01 महिन्द्र यादव, जांच साक्षी संख्या 02 राम उदगार महतो एवं जांच साक्षी संख्या 03 संजय शर्मा उपस्थित हुए। सभी ने एक मत से यह बातें कही हैं कि अभियुक्त अजय कुमार सिंह चेरियाबरियारपुर थाना में पुलिस अधिकारी हैं। परिवादी के घर पर परिवादी के पुत्र अनिल यादव जो कि किसी थाना कांड संख्या में अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु आया था तथा इस दौरान परिवादी के घर में जाकर परिवादी के बेटी तथा पूतोहू के साथ गाली–गलौज किया।

परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त पुलिस अधिकारी हैं एवं उनके द्वारा किया गया कार्य लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया कार्य प्रतीत होता है। अतः धारा – 197 दं0 प्र0 सं0 के तहत जब किसी व्यक्ति पर जो लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यकपाल के संबंध में यथा स्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध के किये जाने के समय नियोजित था उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा अन्यथा नहीं। प्रस्तुत वाद में अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से लोक

सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया कार्य प्रतीत होता है यद्यपि अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पुलिस पदाधिकारी द्वारा अपनी सीमा से हटकर गाली–गलौज किया गया फिर भी ऐसी स्थिति में धारा – 197 भा0 दं0 वि0 उक्त पुलिस पदाधिकारी को सुरक्षा प्रदान करती है। यद्यपि लोक कर्तव्य के निर्वहन के नाम कोई पुलिस पदाधिकारी अपराध कारित नहीं कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न वादो में यह निर्णय दिया है कि पुलिस पदाधिकारी /कोई भी लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान यदि कोई अपराध कारित करते हैं तो उस स्थिति में अभियोजन संस्थित करने हेतु किसी भी पूर्व संस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में मेरे विचार से एक मात्र अभियुक्त क्रमशः अजय कुमार सिंह के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा – 504 के अंतर्गत कार्यवाही के पर्याप्त आधार हैं। तद्नुसार परिवाद पत्र में नामित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा – 504 अंतर्गत आदेशिका जारी करने का आदेश दिया जाता है। परिवादी समन जारी करने हेतु आवश्यक आपेक्षिताएं आज की तिथि से 15 दिनों के अंदर न्यायालय में दाखिल करें, तत्पश्चात् कार्यालय लिपिक अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करें।

लेखापित

ए0 सी0 जे0 एम0
मंझौल, बेगूसराय